

पत्र संख्या : ७८/४७०१ यो०-०२-०९/२०१९-ज.सं.- २१

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना/मुख्य अभियंता, राँची/चाण्डी कम्पलेक्स/देवघर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक ०८/०५/१९

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत विभिन्न प्रमंडलों को पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम० के कार्यान्वयन हेतु कुल रु. ९३२०.५६ लाख (तिरानबे करोड़ बीस लाख छप्पण हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :-

प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-८१/१६-१७, ७८/१६-१७, दि०-१७.०१.२०१७, ८४/१६-१७, दि०-०२.०२.१७, ४५/१८-१९, दि०-०१.०१.१९, ९८/१६-१७, दि०-२९.०३.१७, ०४/१६-१७, दि०-१२.०४.१६, ३८/१७-१८, दि०-१५.०९.१७, २९/१७-१८ दि० ३१.०७.१७, २१/१७-१८, दि०-२७.०६.१७, ९७/१६-१७, दि०-२९.०३.१७, ०६/१६-१७, १२.०४.१६, ०३/१६-१७, दि०-१२.०४.१६, २०/१७-१८, दि०-२७.०६.१७, ९६/१६-१७, दि०-२९.०३.१७, ०५/१७-१८, दि०-२४.०४.१७, १९/१७-१८, दि०-२७.०६.१७, ६७/१६-१७, दि०-१५.१२.१६, ९५/१६-१७, २९.०३.१७, ५७/१८-१९, दि०-०१.०२.१९/ ५९/१८-१९, दि०-०१.०२.१९ एवं ८०/१८-१९, दि०-१८.०३.१९

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है।

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	कुल आवंटन (लाख रु. में)
१	२	३	४	५
1.	४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /८०—सामान्य/	७९६—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना ५४—पूर्ण सिंचाई योजनाओं का ई०आर०एम०	०५—निर्माण, ४५—निर्माण कार्य विपत्र कोड— ४९४७०१८०७९६५४०५४	९३२०.५६

आवंटित राशि - ₹ तिरानबे करोड़ बीस लाख छप्पण हजार मात्र

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-१ में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध ₹ १४०००.०० लाख (₹ एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि० १५.०७.२००३ एवं १६८१ दि० १०.०६.२०१५ के आलोक में होंगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

२८/५/१९

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

२८/५/१९
(रमेश कुमार द्वृष्टि)
विशेष सचिव


२८/५/१९
(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-१

२८/५/१९

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त्।




(अरुण कुमार सिंह) ७-५-१९
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— १।

रॉची, दिनांक :— ०८/०५/१९

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/चक्रधरपुर/चाईबासा/सिमडेगा/गुमला/चापिडल/जमशेदपुर/घाटशिला/देवघर/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) ७-५-१९
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— १।

रॉची, दिनांक :— ०८/०५/१९

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख—I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त्।



(अरुण कुमार सिंह) ७-५-१९
अपर मुख्य सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

विभागीय पत्रांक १ दिनांक ०४/०५/१९ का अनुलग्नक

परिषिष्ट -1

मोंग सख्ता-49-जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्याय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,
लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्र उपयोजना,

उप शीर्ष-54-पूर्ण सिंचाई योजना का ई.आर.एम.

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545

विचीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2019 तक का व्यय	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	योजना पर कुल अद्वतन आवंटन (7+10)	Online Allotment Access No.	अनुचित
				प्रसंग	साझे							
1	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चार्चा बासा SGHIRR016	राँची	विजय सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य	81/ 16-17 प्र.स्त्री। दिनांक-20.01.2017 Online AA- 2167/26.01.17	2982.00	817.79	0.00	650.00	650.00	1467.79	20006	
		राँची	जोनासाई जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य हेतु	78/ 16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-17.01.2017 Online AA- 2105/18.01.17	1866.000	878.19	0.00	400.00	400.00	1278.19	20008	
		राँची	सोनुआ सिंचाई योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य	84/ 16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-02.02.2017 Online AA- 2290/09.02.17	1348.180	328.83	0.00	200.00	200.00	528.83	20010	
2	जलपथ प्रमंडल, चार्चा बासा (SGHIRR008)	राँची	ब्राह्मी सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	45/ 18-19 प्र.स्त्री, दिनांक-01.01.2019 Online AA- 1746/02.01.19	1161.550	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	20012	
		राँची	सोना सिंचाई (वीयर) योजना अन्तर्गत खरसावी शारखा नहर के किंवदि 7.92 से 18.00 तक लाईनिंग कार्य	98/16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-29.03.2017 Online A.A-2857/31.03.2017	1259.637	892.110	0.00	285.00	285.00	1177.11	20015	
		राँची	सोसो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य हेतु	04/16-17 प्र.स्त्री, दिनांक-12.04.2016 Online A.A-2265/26.02.2018	6670.430	5047.670	0.00	1000.00	1000.00	6047.67	20018	
		राँची	तोरलो जलाशय योजना का पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य	38/17-18 प्र.स्त्री, दिनांक-15.09.2017 Online A.A- 1311/15.09.2017	5297.000	1003.950	0.00	900.00	900.00	1903.95	20019	
				योगा	0.00	2185.00	2185.00	9128.73				

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधिक)

(ज्मेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव

(हेमत कुमार)
अधियंता प्रमुख-1

(अरण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
2-८-१९

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपक्रम रु. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2019	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन			योजना पर कुल अधितन आवंटन (7+10)	Online Allotment Access No.	अस्तुक्रित
				प्रसंग	राशि		तक का व्यय	फूर्त का आवंटन	वर्तमान आवंटन राशि			
1	2	3	4	प्रसंग	राशि	तक का व्यय	फूर्त का आवंटन	वर्तमान आवंटन राशि	आवंटन आवंटन राशि	10	11	12
3	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMIR013)	राँची	तुचाओपा जलाशय योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	29/17-18 प्र.स्ट्री। दिनांक-31.07.2017	1274.714	632.290	0.00	450.00	450.00	1082.29	20021	
4	जलपथ प्रमंडल सं०-१, सिमड्जा (SDGIRR001)	राँची	चिन्हा जलाशय योजना के मुख्य नहरों के लाईनिंग सहित पुनरुद्धार कार्य	21 / 17-18 प्र.स्ट्री। दिनांक-27.06.2017 Online A.A-878/03.07.17	2294.000	1747.270	0.00	425.00	450.00	450.00	1082.29	
5	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)	राँची	जयपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित ई.आर.एम. कार्य	97/16-17 प्र.स्ट्री। दिनांक-29.03.2017 Online A.A-2851/31.03.2017	279.200	233.940	0.00	32.81	32.81	266.75	20026	
		राँची	धनसिंह ठोंती जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य	06/16-17 प्र.स्ट्री। दिनांक -12.04.2016 Online A.A-145/13.04.16	2912.380	2560.930	0.00	351.00	351.00	2911.93	20028	
		राँची	करती जलाशय योजना के पुनरुद्धार (ईआरएम) कार्य हेतु	03/16-17 प्र.स्ट्री। दिनांक -12.04.2016 AA-129/12.04.16	9177.350	9008.560	0.00	168.00	168.00	9176.56	20029	
		राँची	खतवा वीरप सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग एवं क्षेत्रप्रस्त संरचनाओं का पुनरुद्धार कार्य	20/17-18 प्र.स्ट्री। दिनांक-27.06.2017 Online A.A-877/03.07.2017	1607.000	299.450	0.00	350.00	350.00	649.45	20031	
		राँची	फुलझर सिंचाई योजना के मुख्य नहर का लाईनिंग सहित ईआरएम कार्य	96/16-17 प्र.स्ट्री। दिनांक-29.03.2017 Online A.A-2850/31.03.2017	1118.209	199.000	0.00	275.00	275.00	474.00	20032	
				योग	0.00	1176.81	1176.81	13478.69				
6	जलपथ प्रमंडल, सं०-२, चैनपुर, गुमला (GMLIRR008)	राँची	मसारिया जलाशय योजना का डैम की मरमाटि, दोंधी एवं बाँधी मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षेत्रप्रस्त संरचनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए	05 / 17-18 प्र.स्ट्री। दिनांक-24.04.2017 Online A.A-420/29.04.2017	1618.597	879.730	0.00	280.00	280.00	1159.73	20033	
		राँची	विशुनपुर वीरप योजना का दोंधी एवं बाँधी मुख्य नहर का लाईनिंग, क्षेत्रप्रस्त संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य	19/17-18 प्र.स्ट्री। दिनांक-27.06.2017 Online A.A-876/03.07.2017	1936.000	398.000	0.00	360.00	360.00	758.00	20034	
				योग	0.00	640.00	640.00	1917.73				

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमिं.)(संभा कुमार द्वे)
विशेष सचिव(हेमत कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरण कुमार सिंह)
अप्र मुख्य सचिव
2.5.19

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण कार्य विपत्र कोड-49S470180796540545
वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध रु. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अधिकार्यता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्थिरता की		मार्च 2019 तक का वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन		योजना पर कुल अवधान आवंटन (7+10)	Online Allotment Access No.	अनुचित	
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	कुल आवंटित आवंटन				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	
7	सुवर्णीरथा बाँध प्रमंडल सं.-2, चाहिड़ल (SKLIRR028)	चाहिड़ल	सरायकोला-खरसाठो जिलान्तरित पत्तना सं.-10, घाटशिला (JSRIRR022)	पूर्वी सिंहमूम जिलान्तरित देशबंध सिंचाई योजना के नहरों के जीणोद्धार तथा लाइनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु	67 / 16-17 प्रस्त्री, दिनांक-15.12.2016 Online AA-1935/22.12.16	5758.810	3911.000	0.00	1765.73	1765.73	5676.73	20035
8	लघु वितरणी प्र० सं.-10, घाटशिला (JSRIRR022)	चाहिड़ल	पूर्वी सिंहमूम जिलान्तरित देशबंध सिंचाई योजना के नहरों के जीणोद्धार तथा लाइनिंग कार्य सहित ERM कार्य हेतु	95 / 16-17 प्रस्त्री, दिनांक-28.03.2017 Online AA-2849/31.03.17	673.680	382.480	0.00	201.12	201.12	583.60	20038	
9	सिंचाई प्रमंडल, तुमका (DMKIRR002)	देवधर	केंद्रीय जलाशय योजना के पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य	57 / 18-19 प्रस्त्री, दिनांक-01.02.2019 Online A.A-2021/05.02.19	1049.640	0.000	0.00	300.00	300.00	300.00	20039	
9	सिंचाई प्रमंडल, तुमका (DMKIRR002)	देवधर	बड़ा नदी जलाशय योजना का पुनरुद्धार एवं मुख्य नहर का लाइनिंग कार्य	59 / 18-19 प्रस्त्री, दिनांक-01.02.2019 Online A.A-2023/05.02.19	1320.730	0.000	0.00	300.00	300.00	300.00	20040	
10	सिंचाई प्रमंडल, बुण्ड (RNCCR011)	रंची	रेसा बीधर योजना का ईआरएम।	80 / 18-19 प्रस्त्री, दिनांक-18.03.2019 Online A.A-2439/18.03.19	670.340	642.840	0.00	26.90	26.90	669.74	20041	
			योग	योग	0.00	26.90	26.90	26.90	26.90	669.74		
			कुल योग	कुल योग	0.00	9320.56	9320.56	39184.59	39184.59			
आवंटित योग - ₹ तिरानबे करोड़ बीस लाख छप्पण हजार मात्र।												

२०२१/०५/१९
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आमि)

२०२१/०५/१९
(रमेश कुमार देवधर)
विशेष सचिव

२०२१/०५/१९
(हेमन्त कुमार)
अधिकारी प्रमुख-१

२०२१/०५/१९
(अरुण कुमार सिंह)
अप्र मुख्य सचिव